बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)
सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि– 20.12.2024 एवं अंतिम तिथि– 06.01.2025

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्त्तमान में 02 जिलों यथा **दरभंगा एवं किशनगंज** में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित किया जाना है।

2. अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध निम्नांकित रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित शर्तों एवं राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र०	पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण कोटि
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	अ०पि०व०–01
2	विद्यालय सहायक	04	गैर आरक्षित–02, अ०पि०व०–01 अनु०जाति–01
3	विद्यालय परिचारी	04	गैर आरक्षित–02, अ०पि०व०–01 अनु०जाति–01
कुल		**09**	

3. आवेदक का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्त्ते रहेगीः–

"चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष/विद्यालय सहायक/विद्यालय परिचारी को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, वही देय होगा, जो पूरे सेवा काल में स्थिर रहेगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।

6. आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र/इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है (प्रपत्र संलग्न)।

7. आवेदक को आरक्षण दावा से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा (प्रपत्र संलग्न)।

9. सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय/विभाग में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में तिथि–06.01.2025 तक हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

11. सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

12. 01 (एक) पद के लिए केवल एक ही आवेदन अनुमान्य होगा।

13. चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/निदेशालय/विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।

14. चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की सेवा/देयता राज्य के किसी भी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए होगा।

15. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

अपर सचिव–सह–निदेशक

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

<u>सूचना</u>

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा एवं किशनगंज जिला में रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के संविदा नियोजन हेतु कुल **09 पदों** हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/निदेशालय, प्रथम तल, चतुर्थ ब्लॉक, पुराना सचिवालय, पटना–800015 में कार्य दिवस में हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 20.12.2024 एवं अंतिम तिथि 06.01.2025 है।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की सूची, आवेदन प्रपत्र एवं रिक्तियों आदि की विस्तृत सूचनाएँ विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html पर भी देखी जा सकती है।

अपर सचिव–सह–निदेशक

आवेदन–प्रपत्र

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के संविदा नियोजन हेतु एकल आवेदन–पत्र

1. आवेदित पद का नामः– (i) पुस्तकालयाध्यक्ष ☐ (ii) विद्यालय सहायक ☐ (iii) विद्यालय परिचारी ☐ (तीनों में से कोई एक)
2. आवेदक/आवेदिका का नामः–
3. पिता/पति का नामः–
4. जन्म तिथिः–
5. सेवानिवृत्ति तिथिः–
6. आधार कार्ड संख्याः ☐
7. पैन कार्ड नं०ः– ☐
8. लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐ थर्ड जेंडर ☐
9. दिव्यांगः– हाँ ☐ नहीं ☐
10. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती–नतीनीः– हाँ ☐ नहीं ☐
11. आरक्षण कोटिः– सामान्य ☐ अनु० जाति ☐ अनु० जनजाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ☐
12. स्थायी पताः– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..
    पोस्टः–.., थानाः–..
    ...., जिलाः–.., पिन कोडः–....................
13. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..
    पोस्टः–.., थानाः–..
    ....जिलाः–.., पिन कोडः–.., मो० नं०ः–........................
    ....
14. शैक्षणिक योग्यताः– मैट्रिक ☐ इन्टर ☐ स्नातक ☐ अन्य अगर हो तो ☐
16. विद्यालय/कार्यालय का नाम (राज्य सरकार के विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय) का पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है। विद्यालय/कार्यालय का नाम–..
    ...., विद्यालय का पताः–............
    ....,
17. कोषागार/बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हे/पी०पी०ओ०न० (महालेखाकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पी०पी०ओ० प्रमाण पत्र संलग्न)ः–..
    ....
18. कोई आरोप/दंड यदि हो, तोः–..

पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फोटो

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज–आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पी0पी0ओ0 (OPS/NPS) संबंधित दस्तावेज, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत), स्वच्छता प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।

उद्घोषणा

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

दिनांकः– **आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर**